अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवादित। - www.onlinedoctranslator.com

अमोल रतन सिंह से पहले जे.

मेघ राज-अपीलार्थी

बनाम

लक्ष्मी दत्त और अन्य-*उत्तरदाताओं*

2016 का आरएसए नंबर 3990

सितम्बर 04, 2018

(A) ***सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—एस.100—कब्जे के लिए दावा—वादी पर निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे को साबित करने का दायित्व।***

*आयोजित,*इसलिए, यदि उत्तरदाता उस संपत्ति पर कब्जे का दावा कर रहे थे जो उनके स्वामित्व में थी (आवंटन पत्र उदाहरण पी-7 से पी-11 के आधार पर), तो निषेधात्मक निषेधाज्ञा के मुकदमे में, ऐसे कब्जे को साबित करने का दायित्व था उन पर।

(पैरा 26)

(B) ***सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—एस.100—बेदखली साबित करने का दायित्व वादी का है, प्रतिवादी का नहीं।***

*आयोजित,*तथापि, दोहराने के लिए, जहां वादी द्वारा दायर मुकदमा केवल प्रतिवादी के खिलाफ वादी की संपत्ति के कब्जे में हस्तक्षेप से निषेधात्मक/स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाला है (जैसा कि वादी द्वारा दावा किया गया है), तो यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि वह मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी द्वारा बेदखल कर दिया गया था, इसका अधिकार वादी पर होगा न कि प्रतिवादी पर।

(पैरा 27)

(C) ***सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-एस.100-प्रतिकूल कब्ज़ा- प्रतिवादी को 12 साल से अधिक समय तक मुकदमे की संपत्ति पर कब्ज़ा साबित करना होगा।***

*आयोजित,*ऐसे मामले में स्थिति फिर से अलग होगी जहां वादी-जमींदार मुकदमे की संपत्ति पर स्वामित्व और उसके कब्जे की घोषणा चाहता है, यह दावा करते हुए कि मुकदमा शुरू होने के समय मूल रूप से मुकदमे की संपत्ति उसके कब्जे में थी, लेकिन दावा करता है कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी द्वारा बेदखल कर दिया गया हो। ऐसी स्थिति में, हालांकि यह साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी पर होगी कि वह वादी के स्वामित्व वाली मुकदमे की संपत्ति पर 12 साल से अधिक समय से लगातार कब्जा कर रहा है, तथापि, यह साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की होगी। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान बेदखल करने का अधिकार अनिवार्य रूप से वादी पर होगा, हालांकि यदि प्रतिवादी 12 साल तक अपने कब्जे को साबित करने में असमर्थ है और

इस तरह के सबूत पेश करने के दौरान, वह अपने कब्जे को केवल उसके बाद की तारीख से ही साबित कर सकता है। मुकदमा स्थापित किया गया था, स्वाभाविक रूप से वादी पर बोझ, उस तथ्य से ही, किसी भी मामले की दी गई परिस्थितियों में उन्मोचित हो जाएगा। (यह किसी भी मामले में वर्तमान मामले में बिल्कुल भी तथ्यात्मक स्थिति नहीं है क्योंकि यह घोषणा की मांग करने वाला मामला नहीं है)।

(पैरा 27)

(D) ***सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—ओ.39, आरएलएस। 1 और 2 - प्रतिवादियों को वाद की भूमि पर कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के लिए वाद - मूल वाद में वाद की संपत्ति पर निर्माण का कोई संदर्भ नहीं है - स्वीकार किए गए प्रतिकृति में वाद की भूमि पर दो कमरे बनाए गए थे - संशोधित वाद - वादी ने यह रुख अपनाया कि प्रतिवादी ने जबरन मुकदमे में प्रवेश किया मुकदमे के लंबित रहने के दौरान भूमि और संपत्ति पर निर्माण किया गया - पूरी तरह से नई कहानी सामने आई - यदि मुकदमा शीर्षक के आधार पर मुकदमे की संपत्ति पर कब्ज़ा करने की मांग कर रहा था, तो वादी के अधिकारों पर निष्कर्ष पूरी तरह से अलग होंगे - मुकदमा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए है और उसके बाद अनिवार्य मांग की जा रही है और इसके संशोधित रूप में परिणामी स्थायी निषेधाज्ञा, मुकदमे की स्थापना की तारीख पर वादी द्वारा कब्ज़ा साबित किया जाना था, जिसे उन्होंने वास्तव में अपनी दलीलों से खारिज कर दिया था - निर्मित कमरों के लिए वादी के मुकदमे की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी।***

*आयोजित,*निःसंदेह, यदि वाद वादी द्वारा अपने स्वामित्व के आधार पर वाद की संपत्ति पर कब्ज़ा चाहने के लिए दायर किया गया होता, तो ऐसा करने के उनके अधिकारों पर निष्कर्ष पूरी तरह से अलग हो सकते थे; लेकिन यह मुकदमा केवल स्थायी निषेधाज्ञा (अपने मूल रूप में) की मांग करने वाला है, और उसके बाद अपने संशोधित रूप में अनिवार्य और परिणामी स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाला है, मुकदमे की शुरुआत की तारीख पर उनके कब्जे को वादी द्वारा साबित किया जाना था, जो मेरी राय में उन्होंने वास्तव में अपनी ही दलीलों को खारिज कर दिया।

(पैरा 34)

*आगे आयोजित,*जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, यह कहा जाना चाहिए, हालांकि, विद्वान ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष के संबंध में कि केवल एक वादी ने गवाह बॉक्स में कदम रखा है और अन्य ने नहीं, जबकि उक्त वादी संयुक्त मालिक नहीं है संपूर्ण मुकदमे की संपत्ति और इसलिए अन्य भूखंडों के कब्जे के संबंध में उनकी गवाही स्वीकार्य नहीं है जो उनके स्वामित्व में नहीं थे ('खसरा' संख्या 40 और 42), मेरी राय में यह निष्कर्ष गलत है, जैसा कि विद्वान द्वारा सही ढंग से रखा गया है निचली अपीलीय अदालत, क्योंकि एक बार यह स्वीकार कर लिया गया था कि वादी एक-दूसरे के निकटतम परिवार थे, यानी पिता, पुत्र और पोते, सभी भूखंड एक-दूसरे से सटे हुए थे, यहां तक कि वादी संख्या भी नहीं थी। 2, सभी वादी के लिए एक गवाह के रूप में उपस्थित होने पर, मामले के अपने

ज्ञान के संदर्भ में गवाही देना माना जाएगा, हालांकि वह गवाही अन्यथा यहां दिए गए कारण से खारिज की जा सकती है, यानी मुकदमे की संपत्ति पर वादी का कब्ज़ा वास्तव में था अलग-अलग समय पर अपनी दलीलों में अपनाए गए विरोधाभासी रुख से यह साबित नहीं हुआ, जिससे प्रतिवादी के मुकदमे की संपत्ति पर उसके कब्जे के साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय हो गए।

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता गोपाल शर्मा।

प्रतिवादियों की ओर से यशपाल मलिक, वकील।

अमोल रतन सिंह, जे. (मौखिक)

सीएम नंबर 10314-सी-2016

(1) इस अपील में उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने से पहले, यहां यह ध्यान देने की जरूरत है कि इसे दाखिल करने में 85 दिनों की देरी हुई है और हालांकि उस देरी की माफी के लिए आवेदन में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, नोटिस जारी किया गया है। मुख्य अपील में ही, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने भी देरी को माफ किए जाने पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं उठाई है और परिणामस्वरूप, आवेदन की अनुमति दी जाती है और अपील दायर करने में 85 दिनों की देरी को माफ किया जाता है, दिए गए कारणों के मद्देनजर आवेदन, इस आशय का कि आवेदक एक गाँव में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति है, जिसे (जैसा कि कहा गया है) गाँव के सम्मानित व्यक्तियों ने आश्वासन दिया था कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा। हालाँकि, इसके बजाय, उत्तरदाताओं ने वास्तव में डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही शुरू की, जिस पर यह अपील दायर की गई थी।

यह नियमित दूसरी अपील प्रतिवादी द्वारा तब दायर की गई है जब उत्तरदाताओं (वादी) द्वारा दायर मुकदमा शुरू में ट्रायल कोर्ट [अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), कैथल] द्वारा 31.10.2013 को खारिज कर दिया गया था, लेकिन अपील दायर की गई थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय, यानी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कैथल द्वारा दिनांक 15.02.2016 के आक्षेपित निर्णय और डिक्री द्वारा वादीगण को अनुमति दी गई है।

(2) प्रतिवादी-वादी (बाद में वादी के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर मुकदमे के माध्यम से, उन्होंने शुरू में अपील की कि अपीलकर्ता के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाए, जिससे उसे मुकदमे की भूमि पर उनके शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जा

सके, (पूर्ण) जिसका विवरण नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों के निर्णयों में नहीं दिया गया है, लेकिन अभिलेखों से यह गैर-कृषि भूमि प्रतीत होती है, जिसे वादी के पैराग्राफ 1 (ए) से (डी) में चार भागों में पूरी तरह से वर्णित किया गया है)।

मुकदमे में नोटिस जारी होने पर, अपीलकर्ता-प्रतिवादी उपस्थित हुआ और एक लिखित बयान दायर किया, जिसमें लोकस स्टैंडी, तथ्यों को छुपाने आदि पर सामान्य प्रारंभिक आपत्तियां उठाई गईं और गुण-दोष के आधार पर कहा गया कि वह जमीन के कब्जे में मालिक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने सूट संपत्ति के एक हिस्से पर एक चारदीवारी का निर्माण किया है और उक्त चारदीवारी के भीतर एक पानी की टंकी के निर्माण के लिए एक निविदा भी जारी की है।

अपीलकर्ता ने मुकदमे की संपत्ति का कुछ हिस्सा खाली बताया था, जबकि इसके दूसरे हिस्से पर उसने दो कमरों वाला अपना आवासीय घर बनाया था, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था।

वादी द्वारा दायर प्रतिकृति में, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि निर्मित दो कमरे प्रतिवादी द्वारा बनाए गए थे, दूसरी ओर तर्क दिया कि उनका निर्माण उनके (वादी-प्रतिवादियों) द्वारा किया गया था।

(3) उपरोक्त दलीलों पर, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए: -

"1.क्या वादी प्रार्थना के अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री के हकदार हैं? ओपीपी.

2. क्या वादीगण का वाद वर्तमान स्वरूप में पोषणीय नहीं है? ओपीडी

3. क्या वादीगण के पास वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है? ओपीडी

4. क्या वादी को अपने कार्य और आचरण से वर्तमान मुकदमा दायर करने से रोका गया है? ओपीडी

5. क्या आवश्यक पक्ष से गैर-शामिल होने के लिए मुकदमा ख़राब है?
ओपीडी

6. क्या सिविल न्यायालय को वर्तमान मुकदमे पर विचार करने और विचारण करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है? ओपीडी

7. क्या दुराचार के लिए मुकदमा बुरा है? ओपीडी

8. क्या वादीगण ने न्यायालय से सच्चे एवं भौतिक तथ्य छिपाये हैं? ओपीडी

9. राहत।"

(4) इसके बाद, मुकदमे के चरण में ही, वादी ने वाद में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि 07.07.2012 को, जब वे स्टेशन से बाहर थे, अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने मुकदमे की संपत्ति में अतिक्रमण किया था और उस पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया था और उनकी सहमति के बिना उस पर निर्माण कर लिया था। आवेदन की अनुमति दी गई, इसलिए संशोधित वादपत्र को रिकॉर्ड पर लिया गया, जिसके द्वारा वादी द्वारा अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री मांगी गई, जिसमें अपीलकर्ता को संपत्ति का खाली कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया, साथ ही उसे उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोका गया। उसके बाद उस पर शांतिपूर्ण कब्ज़ा।

इसके बाद अपीलकर्ता द्वारा संशोधित वादपत्र के लिए एक लिखित बयान दायर किया गया, जिसमें यह तर्क दिया गया कि वादी ने वास्तव में पिछले 40 वर्षों से गांव छोड़ दिया है, उसने मुकदमे की संपत्ति पर दो कमरों वाला अपना घर बनाया है और उसने कोई निर्माण नहीं किया है। उसे 07.07.2012 को.

संशोधित दलीलें दायर किए जाने पर, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त मुद्दे तय किए गए: -

> “2-ए)क्या मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी ने मुकदमे की संपत्ति पर अवैध और अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था? ऑप
>
> 2-बी) क्या वादी प्रार्थना के अनुसार अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए डिक्री का हकदार है? ऑप
>
> 3. राहत।"

(5) वादी ने दो गवाहों से पूछताछ की, जिनमें वादी संख्या भी शामिल है। 4 जय देव @ देव और एक साधु राम, जबकि अपीलकर्ता

प्रतिवादी ने खुद की जांच की, एक राम कुमार और दूसरे, राज कुमार, क्रमशः डीडब्ल्यू 1, 2 और 3 के रूप में।

दोनों पक्षों ने दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किये।

(6) अंक संख्या 1, 2, 2ए और 2बी को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा एक साथ लिया गया था, जिसने पहली बार यह निष्कर्ष दर्ज किया था कि विवाद वास्तव में वादी के पहले पैराग्राफ में दर्शाए गए सभी चार 'खसरा' नंबरों के लिए नहीं था, बल्कि केवल उसके संबंध में था। वाद भूमि का वह हिस्सा जिस पर दो कमरों वाला एक घर बनाया गया था, जिसे प्रत्येक पक्ष ने बनाने का दावा किया था, हालांकि अपीलकर्ता ने कहा था कि निर्माण 07.07.2012 को नहीं बल्कि उससे बहुत पहले किया गया था।

(7) उस निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह माना कि शुरू में दायर किए गए वाद में, वादी ने कहीं भी उल्लेख नहीं किया था कि उन्होंने मुकदमे की भूमि पर दो कमरों का निर्माण किया था और यह केवल तभी हुआ था जब अपीलकर्ता ने अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया था। , जिसमें कहा गया है कि उसने अपने घर का निर्माण दो कमरों से किया था, उनकी प्रतिकृति में वादी ने आरोप लगाया कि कमरों का निर्माण उनके द्वारा किया गया था; हालाँकि, इसमें यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उनके द्वारा दर्शाए गए 'खसरा' नंबरों में से किस 'खसरा' नंबर पर निर्माण किया गया था।

(8) मुकदमे के लंबित रहने के दौरान घटित घटनाओं को विद्वान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश ने अपने फैसले में इस आशय से नोट किया है कि आदेश XXXIX नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत वादी द्वारा दायर आवेदन पर अनुमति दी गई है। उस न्यायालय द्वारा 08.09.2009 को (मुकदमा 25.04.2009 को स्थापित किया गया था), उसके बाद 29.07.2010 को वादी ने उपरोक्त आदेश के कार्यान्वयन के लिए पुलिस सहायता की मांग करते हुए एक आवेदन दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि इसके पारित होने के बाद भी, प्रतिवादी उन्हें मुकदमे की संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दी गई और परिणामस्वरूप, दिनांक 31.03.2011 के एक आदेश के माध्यम से, SHO पुलिस स्टेशन कलायत को उक्त आदेश (दिनांक 08.09.2009) को लागू करने के लिए वादीगण को पर्याप्त सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

इसके बाद 02.09.2011 को फिर से, वादी ने सीपीसी की धारा 151 के तहत एक और आवेदन दायर किया, जिसमें फिर से पुलिस की मदद मांगी गई, इस आरोप के साथ कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी उपरोक्त आदेश का उल्लंघन कर रहा था। उस आवेदन को भी अनुमति दे दी गई, साथ ही SHO को फिर से निर्देश दिया गया कि यदि वादी को उनके कब्जे की सुरक्षा के लिए आवश्यकता हो तो पुलिस सहायता प्रदान की जाए।

(9) 02.09.2011 को, SHO को "वादी के कब्जे" में अतिक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

उस आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष 2011 का सिविल रिवीजन नंबर 6348 दायर किया, जिसे 10.07.2012 को निपटाया गया, आदेश में यह देखते हुए कि वादी ने दावा किया था कि वाद की भूमि खाली है, जिसमें निषेधाज्ञा दी गई थी। 08.09.2009 को पक्ष, और इसलिए उस निषेधाज्ञा को केवल पैराग्राफ संख्या में वर्णित रिक्त भूमि के संबंध में एक माना जाएगा। 1 [वादी के उप पैराग्राफ (ए) से (डी)]।

विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि इस न्यायालय के उक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि वादी पक्ष के विद्वान वकील द्वारा यह 'तर्क' दिया गया था कि संपत्ति को स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति द्वारा मापा और पहचाना जाए, जो प्रार्थना थी अस्वीकार कर दिया गया लेकिन वादीगण को यह छूट दी गई कि यदि वे चाहें तो ट्रायल कोर्ट के समक्ष ऐसा आवेदन दायर कर सकते हैं।

(10) ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति के लिए इस तरह के आवेदन को आगे बढ़ाने के बजाय, वादी ने वादी में संशोधन के लिए 02.11.2012 को एक आवेदन दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 07.07.2012 को प्रतिवादी ने मुकदमे की संपत्ति में अतिक्रमण किया, अवैध कब्ज़ा कर लिया और निर्माण कर लिया। उस अदालत ने देखा कि उनके द्वारा यह रुख अपनाया गया था, भले ही 2011 के सिविल रिवीजन नंबर 6348 से कुछ भी नहीं दिखाया गया था कि इस अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान पहले ही घर पर कब्जा कर लिया था।

(11) इसलिए, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी ने जानबूझकर घर के सटीक स्थान के संबंध में मुकदमे की भूमि का

> सीमांकन करने के लिए स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं दिया था, प्रतिवादी (वर्तमान अपीलकर्ता) ने दावा किया था कि इसका निर्माण किया गया है। उसके द्वारा, और परिणामस्वरूप, ऐसा प्रतीत हुआ कि वादी को पता था कि प्रतिवादी द्वारा वाद भूमि के एक हिस्से पर पहले से ही घर का निर्माण किया गया था, जिस पर वादी "कथित बेदखली की आड़ में" कब्जा करना चाहते थे, जो कि, उस न्यायालय के अनुसार, वादी पक्ष द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य से भी यह स्पष्ट था।

यह देखा गया कि यद्यपि पीडब्लू-1 जय देव (वादी संख्या 4 और प्रतिवादी संख्या 3) ने अपनी जिरह में कहा था कि उनका वोटर कार्ड और राशन कार्ड समालखा में जारी किए गए थे, हालांकि, पीडब्लू-2 साधु राम ने कहा था कि वादीगण के वोटर कार्ड और राशन कार्ड ग्राम मटोर में जारी किए गए थे, यानी जहां वाद की भूमि स्थित है। पीडब्लू-2 ने यह भी गवाही दी कि वादी ने पंचायत, संसदीय और राज्य विधायिका के निर्देशों के लिए अपना वोट डाला था।

ट्रायल कोर्ट द्वारा यह भी पाया गया कि पीडब्लू-2 ने अपनी जिरह में कहा था कि वादी नं. 1 लक्ष्मी दत्त ने मुकदमे की जमीन पर दो कमरों वाला अपना घर बनाया था, जिसे प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर लिया, जबकि पीडब्लू -1 जय देव ने अपने जिरह में कहा कि जुलाई 2012 के पहले सप्ताह में, अपीलकर्ता प्रतिवादी ने, ध्वस्त करने के बाद वादी द्वारा निर्मित एक 'कोठा', 'खसरा' संख्या वाले दो भूखंडों पर अवैध कब्ज़ा कर लिया। 40 और 41.

उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के विपरीत, अभिवचनों में वादी पक्ष ने यह आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने 07.07.2012 को निर्माण कार्य कराया था, जिसमें यह उल्लेख नहीं किया गया था कि उसने पहले वादी द्वारा पहले से निर्मित कमरों को ध्वस्त कर दिया था। पीडब्लू-2 ने अपनी गवाही में यह भी कहा है कि विवादित घर का निर्माण 2012 के दूसरे महीने में किया गया था।

> (12) उपरोक्त विरोधाभासों को पूरी तरह से असंगत माना गया और परिणामस्वरूप, यह माना गया कि वादी द्वारा दिए गए सबूत यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे कि विवाद में घर का निर्माण उनके द्वारा किया गया था।

एक 'फ़ाइल लेखन' (उदा. पी-13) का हवाला देते हुए, जिसके द्वारा वादी यह साबित करना चाहते थे कि निर्माण उनके द्वारा किया गया था, ट्रायल कोर्ट ने माना कि उक्त दस्तावेज़ को प्रतिवादी ने स्वीकार किया था कि उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। लेकिन यह वादी संख्या के बीच विवाद से संबंधित है। 1 लक्ष्मी दत्त

और एक सुरेश ने ईंटों के भुगतान पर इस मामले में समझौता कर लिया। हालाँकि, उस न्यायालय द्वारा यह भी पाया गया कि दस्तावेज़ पर कोई तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था और यह भी नहीं माना जा सकता था कि ईंटों पर विवाद वाद की भूमि पर बने घर (दो कमरे) के विवाद से संबंधित था।

(13) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस आशय का एक और निष्कर्ष दर्ज किया कि यद्यपि वादी सभी एक ही परिवार के सदस्य थे (वादी संख्या 1 वादी संख्या 2 और 4 के पिता और वादी संख्या 3 के दादा थे), तथापि , सभी चार 'खसरा' नंबर जिनमें वाद भूमि शामिल थी, प्रत्येक वादी को व्यक्तिगत रूप से आवंटित किए गए थे और इसलिए, वे प्रत्येक वादी को आवंटित किए गए एक 'खसरा' नंबर के पूर्ण मालिक थे और संयुक्त कब्जे में सहभागी नहीं थे। वादपत्र के पैराग्राफ 1 के उपपैराग्राफ (ए) से (डी) में वर्णित संपूर्ण वाद भूमि।

(14) वादी संख्या के (दिवंगत) पिता। 3 को 'खसरा' नंबर आवंटित किया जाना पाया गया। 40, वादी सं. 2 खसरा नं. 41, वादी सं. 4 'खसरा' नं. 42 एवं वादी सं. 1 'खसरा' नं. 43. हालाँकि, केवल वादी संख्या के साथ। 4 जय देव ने पीडब्लू-1 के रूप में गवाही दी और अपनी जिरह में कहा कि प्रतिवादी ने 'खसरा' नंबर पर अतिक्रमण किया था। 40 और 41, ट्रायल कोर्ट द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि उक्त दो 'खसरा' नंबरों के संबंध में जिम्मेदारी वादी संख्या पर थी। क्रमशः 3 और 2, जिन्होंने किसी भी अतिक्रमण के संबंध में गवाही नहीं दी, वादी संख्या की गवाही। उस पहलू पर 4 को स्वीकार नहीं किया जा सका।

(15) उपरोक्त सभी टिप्पणियों और निष्कर्षों के आधार पर, विद्वान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश द्वारा यह माना गया कि वाद भूमि के एक हिस्से पर बने दो कमरों का निर्माण वादी द्वारा नहीं किया गया था और इसलिए एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनका निर्माण किया गया था यहां अपीलकर्ता (प्रतिवादी) द्वारा, मुकदमा शुरू होने से पहले। इसे डीडब्ल्यू-1 के रूप में अपीलकर्ता-प्रतिवादी की गवाही से और भी मजबूत माना गया, जिसने अपने हलफनामे में लिखित बयान के दावों को दोहराने के अलावा, पूर्व। DW1/A ने दो अन्य गवाहों से भी पूछताछ की जिन्होंने गवाही दी थी कि घर का निर्माण उन्होंने लगभग 40 साल पहले किया था, लेकिन अदालत द्वारा उनकी जिरह में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे गवाही की सत्यता पर कोई संदेह पैदा हो।

(16) इस प्रकार, मुख्य मुद्दों का निर्णय अपीलकर्ता-प्रतिवादी के पक्ष में और प्रतिवादी-वादी के खिलाफ किया गया, जबकि अन्य मुद्दों को दबाया या बहस नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमा खारिज कर दिया गया।

(17) प्रतिवादी-वादी द्वारा दायर की गई अपील में, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कैथल ने तथ्यों और साक्ष्यों पर गौर करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि रिकॉर्ड पर प्रस्तुत दस्तावेज भूतपूर्व व्यक्ति के रूप में हैं। पी7 से पी-11 तक, यह दर्शाता है कि वादी वर्ष 1976 में ग्राम मटोर में रह रहे थे और वाद के पहले पैराग्राफ में वर्णित भूखंड, प्रत्येक की माप 03 मरला, उन्हें घर बनाने के उद्देश्य से आवंटित की गई थी, आवंटन 06.08.1976 को किया गया है।

वर्ष 2004-05 के लिए 'जमाबंदी' (अधिकारों का रिकॉर्ड) के रूप में राजस्व रिकॉर्ड, पूर्व के रूप में प्रदर्शित किया गया। पी-1 से पी-4 तक, उन्हें उक्त 'खसरा' नंबरों के मालिक के रूप में दर्शाया गया है, साथ ही 'अक्स शजरा' (फ़ील्ड नंबरों के साथ साइट योजना) भी 'खसरा' नंबरों का स्थान दर्शाता है।

(18) उपरोक्त निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद, यह माना गया कि आवंटन और साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में भूखंडों को वादी के स्वामित्व और कब्जे में दिखाया गया है, अधिकारों के रिकॉर्ड से जुड़ी सच्चाई की धारणा को केवल समान मूल्य के साक्ष्य द्वारा खंडित किया जा सकता है और इसलिए , यह दिखाने का दायित्व कि यहां अपीलकर्ता (प्रतिवादी) मुकदमे की संपत्ति पर कब्ज़ा कैसे कर पाया, उस पर स्थानांतरित हो गया, जिसके लिए उसने केवल मार्क डीए के रूप में उस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज़ पर भरोसा किया था, जो हालांकि साबित नहीं हुआ था उसके द्वारा। उक्त दस्तावेज़ में बस इतना कहा गया है कि जो भूखंड अन्य व्यक्तियों को आवंटित किए गए थे, ग्राम पंचायत ने उन पर प्रतिवादी को निर्माण करने की अनुमति दी थी, इसमें यह भी कहा गया था कि वादी लंबे समय से गांव में नहीं रह रहे थे।

हालाँकि, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह भी पाया कि उक्त दस्तावेज़ (मार्क डीए) में किसी भी 'खसरा' या 'किला' नंबर का चित्रण नहीं किया गया था जिसके संबंध में ऐसी अनुमति दी गई थी। इसलिए, यह माना गया कि यह नहीं कहा जा सकता कि जो भूखंड मुकदमे की विषय वस्तु थे, वे वही थे जो ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादी (यहां अपीलकर्ता) को आवंटित किए गए थे।

(19) यहां अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत एक अन्य दस्तावेज़ को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मार्क डीबी के रूप में देखा गया था, (हालांकि अंततः यह उसके द्वारा पूर्व डी-4 के रूप में साबित हुआ था)। हालाँकि, वह दस्तावेज़ दिनांक 20.04.2009 का पाया गया और उस कारण से (आक्षेपित निर्णय में नहीं दी गई तारीख के संबंध में लिया गया निष्कर्ष), यह माना गया कि अपीलकर्ता के पास मुकदमे की संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था।

ऐसा मानते हुए भी, उस न्यायालय ने देखा कि वादी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया था कि वे ग्राम मटौर में नहीं रह रहे थे, हालाँकि, उनके गवाहों की गवाही से यह पाया गया कि "उनके पिता" अभी भी वहाँ रह रहे थे और वह वादी सं. 1, लक्ष्मी दत्त, (वास्तव में दो वादी के पिता), हर कुछ दिनों के बाद गाँव आते थे। इसलिए, यह माना गया कि यह नहीं कहा जा सकता है कि लक्ष्मी दत्त गांव में नहीं रहते थे और भले ही उनके बेटे किसी अन्य स्थान पर काम कर रहे थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने उन्हें आवंटित संपत्ति का अधिकार खो दिया था। वर्ष 1976, विशेषकर चूँकि प्रतिवादी द्वारा कोई प्रतिदावा दायर नहीं किया गया था; उपहार विलेख के साथ, पूर्व। पी-7 से पी-10 तक, वादी के पक्ष में, उसके द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई। यहां तक कि 'जमाबंदी' (उदाहरण पी-1 से पी-4 के रूप में प्रदर्शित) को भी कभी चुनौती नहीं दी गई और परिणामस्वरूप, अदालत ने माना कि भले ही यह मान लिया जाए कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी भूमि पर रह रहा था। 40 वर्षों तक विवाद में रहने के बावजूद, उन्होंने उपहार विलेख या 'जमाबंदी' को कभी चुनौती नहीं दी, बावजूद इसके कि वे उनकी जानकारी में थे, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि भूमि वादी के पक्ष में आवंटित की गई थी, जो वादी को अधिकार से वंचित नहीं कर सकती थी। डिक्री जो उन्होंने मांगी थी।

तब यह माना गया कि केवल वादी में से एक की यह स्वीकारोक्ति कि प्रतिवादी ने भूमि पर अतिक्रमण किया था और अपना घर बनाया था, उस पर उसके लंबे समय तक कब्जे को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

(20) आगे यह माना गया कि वाद में संशोधन की अनुमति दी गई है, इस तर्क के साथ कि प्रतिवादी ने मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान मुकदमे की भूमि पर अतिक्रमण किया था, यह साबित करने की जिम्मेदारी उस पर (प्रतिवादी) थी कि वह कब आया था उस पर कब्ज़ा; लेकिन यह बताने के अलावा कि वह लंबे समय से वहां रह रहा है, उसने

विशेष रूप से यह नहीं बताया कि वह किस तारीख, महीने और वर्ष से वहां रह रहा है।

इसके बाद, फिर से दस्तावेज़, मार्क डीए का जिक्र करते हुए, जिसके द्वारा प्रतिवादी को 04.03.2009 को घर बनाने की अनुमति दी गई थी, अदालत ने पूर्व के साथ उस दस्तावेज़ को पढ़ा। पी-13, जिसे अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा सही माना गया था, इस आशय से कि विवाद में भूमि पर ईंटों और मिट्टी की आपूर्ति सुरेश नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी और इसलिए यह निर्णय लिया गया कि वादी सं. 1 लक्ष्मी दत्त ईंटों के बदले सुरेश को 5,000/- रुपये देंगे। नतीजतन, प्रथम अपीलीय अदालत ने यह अनुमान लगाया कि लक्ष्मी दत्त ने घर बनाने के लिए सामग्री खरीदी थी। इसलिए, सभी परिस्थितियों को, जिसमें 'जमाबंदी' से जुड़ी सत्यता की धारणा भी शामिल है, जिसमें विचाराधीन भूखंडों का आवंटन वादी के नाम पर होना शामिल है, अदालत ने यह माना कि वादी का मुकदमा उचित है। आदेश दिया.

उपरोक्त निष्कर्षों पर, वादी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी गई और उस न्यायालय द्वारा मुकदमे का फैसला उनके पक्ष में सुनाया गया।

(21) इस न्यायालय के समक्ष, इस दूसरी अपील में, अपीलकर्ता-प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री गोपाल शर्मा ने प्रस्तुत किया (वास्तव में वही दोहराया जो ट्रायल कोर्ट ने देखा था), कि केवल वादी संख्या के साथ। 4 जय देव (यहां प्रतिवादी संख्या 3), प्रतिवादी द्वारा मुकदमे की संपत्ति पर जबरन कब्ज़ा करने के संबंध में गवाही देने के लिए गवाह बॉक्स में कदम रखा, और उसकी गवाही केवल प्लॉट नंबर के संदर्भ में थी। 40 और 41, जो उसका नहीं बल्कि वादी क्रमांक का था। 2 और 3, इसलिए, उक्त गवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता था, (अपीलीय न्यायालय द्वारा), जैसा कि वादी संख्या के साथ ट्रायल कोर्ट द्वारा सही माना गया था। 2 और 3 ने गवाह बॉक्स में कदम नहीं रखा। विद्वान वकील के अनुसार, यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI के नियम 31 का उल्लंघन होगा, जो इस प्रकार है: -

> "निर्णय की सामग्री, तारीख और हस्ताक्षर.---अपीलीय न्यायालय का निर्णय लिखित रूप में होगा और इसमें कहा जाएगा---
>
> (a) निर्धारण के बिंदु;
>
> (b) उस पर निर्णय;
>
> (c) निर्णय के कारण; और

> (d) जहां अपील की गई डिक्री उलट दी गई है या बदल दी गई है, अपीलकर्ता जिस राहत का हकदार है, और जिस समय इसे सुनाया जाएगा उस पर न्यायाधीश या उससे सहमत न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा।

इस प्रकार, तर्क यह है कि आक्षेपित निर्णय में कोई कारण नहीं बताया गया है कि वादी संख्या की गवाही कैसे हुई। 4 जय देव, पीडब्लू-1 के रूप में, वादी संख्या के साथ उन भूखंडों के संदर्भ में स्वीकार किया जा सकता है जो उसके नहीं हैं। 2 और 3 (देवी दत्त उर्फ देव और माही पाल), जिनके उक्त भूखंड हैं, ने गवाह बॉक्स में कदम नहीं रखा है, गवाही को खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

उन्होंने उस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित दो निर्णयों पर भरोसा किया: -

एच.सिद्दीकी (डी) एलआर द्वारा *बनाम*ए. रामलिंगम[1] और राजेश्वरी बनाम पूरन इंदौरिया[2]।

---

[1] 2011 (4) एससी 240

[2] 2005 (4) आरसीआर (सिविल) 36

(22) विद्वान वकील ने आगे कहा कि अपीलीय अदालत ने गलती से यह साबित करने की जिम्मेदारी अपीलकर्ता-प्रतिवादी पर डाल दी कि कब्जा बाद में उसके द्वारा नहीं लिया गया था, जबकि यह साबित करने की जिम्मेदारी वादी पर रहेगी, जिन्होंने वास्तव में केवल तभी अपनी याचिका में संशोधन किया था। उन्होंने पाया कि वे मुकदमे की संपत्ति पर अपना कब्ज़ा साबित नहीं कर सके।

(23) इसके विपरीत, प्रतिवादी-वादी के विद्वान वकील श्री यशपाल मलिक ने प्रस्तुत किया कि वाद की संपत्ति पर प्रतिवादी के कब्जे के पक्ष में विद्वान सिविल न्यायाधीश द्वारा लिया गया निष्कर्ष, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उचित रूप से खारिज कर दिया गया था, इस कारण से सत्य का अनुमान अधिकारों के रिकॉर्ड ('जमाबंदी' उदाहरण पी-1 से पी-4) से जुड़ा हुआ है और इसलिए, यह दिखाने का दायित्व है कि प्रतिवादी मुकदमा दायर करने से पहले भी मुकदमे की संपत्ति के कब्जे में था। , वास्तव में उस पर, यानी अपीलकर्ता-प्रतिवादी पर था।

वादी में से केवल एक के गवाह बॉक्स में कदम रखने के संबंध में, श्री मलिक ने प्रस्तुत किया कि अन्य वादी के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, जिनकी ओर से एक वादी ने गवाह बॉक्स में कदम रखा था, और दायर वाद के संदर्भ में गवाही दी थी। सभी वादी.

(24) इसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड से अपीलकर्ता-प्रतिवादी मेघ राज (डीडब्ल्यू-1 के रूप में) की गवाही का हवाला देते हुए कहा कि एक बार संपत्ति के स्वामित्व पर उनके द्वारा भी विवाद नहीं किया गया था, जबकि भूखंड ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित किए गए थे। , 'जमाबंदी' में विधिवत परिलक्षित, ऐसे रिकॉर्ड के पक्ष में अनुमान को अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में सही ढंग से लिया गया था।

परिणामस्वरूप, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने अपील को खारिज करने की प्रार्थना की।

(25) नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के निर्णयों और इस न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद, यह ध्यान देना आवश्यक है कि अपील के आधार पर, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा कानून के निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए गए हैं: -

i) क्या नीचे दी गई विद्वान अदालतों के निष्कर्ष Exs की गलत व्याख्या है। पी-7 से पी-10 (आवंटन/उपहार विलेख)?

ii) क्या वादी द्वारा दायर निषेधाज्ञा का मुकदमा प्रतिवादी के विरुद्ध चलने योग्य है?

iii)क्या निचली अपीलीय अदालत के निष्कर्ष साक्ष्यों की गलत व्याख्या पर आधारित हैं और विकृत हैं? (iv) क्या आक्षेपित निर्णय और डिक्री ने अपीलकर्ता-प्रतिवादी पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाला है?

(v) क्या सीपीसी के आदेश XLI के नियम 31 के प्रावधानों के अनुपालन के बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है?

उपरोक्त प्रश्न में, प्रश्न (ii) वास्तव में, इस न्यायालय की राय में, "इस तरह पढ़ा जाना चाहिए कि क्या वादी को मामले की परिस्थितियों में प्रार्थना की गई निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए थी" और तदनुसार इसे दोबारा तैयार किया गया है।

कानून का एक और प्रश्न जिसे तैयार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या संपत्ति में हस्तक्षेप से प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते

हुए दायर किए गए मुकदमे में मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा साबित करने की जिम्मेदारी वादी या प्रतिवादी पर होगी और दूसरे, क्या यह साबित करने का दायित्व कि मुक़दमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी ने वादी से कब्ज़ा ले लिया था, वादी या प्रतिवादी पर था। तदनुसार, यह इस दूसरी अपील में विचार किया जाने वाला कानून का अंतिम प्रश्न (प्रश्न संख्या vi) है और तदनुसार तैयार किया गया है।

दरअसल, प्रश्न संख्या. (i) यहां उपरोक्त वास्तव में कानून का प्रश्न नहीं है और पूरी तरह से तथ्य का प्रश्न है; फिर भी, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से यह नहीं बता सके कि उत्तरदाताओं के पक्ष में उपहार/आवंटन पत्र, अनुलग्नक पी-7 से पी-10 कैसे दिए गए। इसमें 1 से 4 किसी भी तरह से पढ़ने योग्य नहीं हैं क्योंकि ऐसे आवंटन पत्र ग्राम मटोर की ग्राम पंचायत के 'सरपंच' द्वारा जारी किए गए दिखाए गए हैं, तीन मरला भूखंडों के ऐसे आवंटन का उद्देश्य आवंटी को उस पर घर बनाने में सक्षम बनाना है। .

विद्वान वकील ने इस बारे में कोई तर्क नहीं दिया है कि उक्त आवंटन अवैध या अमान्य क्यों हैं, या तो किसी वैधानिक या प्रक्रियात्मक रोक के कारण, या कागजात के स्टाम्प मूल्य (जिस पर आवंटन निर्धारित है) के विपरीत है, के विपरीत है। कोई वैधानिक प्रावधान.

वास्तव में, ऐसे किसी भी मुद्दे पर नीचे की विद्वान अदालतों के समक्ष वास्तव में बहस की गई ही नहीं दिखाई गई।

नतीजतन, मुझे यह मानने का कोई कारण नहीं दिखता कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उन दस्तावेजों को गलत तरीके से पढ़ा है।

(26) यहां ऊपर दिए गए अंतिम प्रश्न को पहले (प्रश्न संख्या vi) लेते हुए, सबसे पहले, और कब्ज़ा साबित करने का दायित्व किस पर है, सबसे पहले उस चरण में जब निषेधात्मक निषेधाज्ञा की मांग करने वाला मूल मुकदमा उत्तरदाताओं-वादी द्वारा दायर किया गया था और दूसरे, यह साबित करने की जिम्मेदारी किस पर है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वादी द्वारा किए गए ऐसे किसी कब्जे को प्रतिवादी ने परेशान किया था।

इसके पहले भाग में, एलआर और द्वारा अनाथुला सुधाकर बनाम पी. बुची रेड्डी (मृत) में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला
***अन्य*3**, का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया था:-

> "1. स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मात्र मुकदमा कब दायर किया जाएगा, और परिणामी राहत के रूप में निषेधाज्ञा के साथ घोषणा

> और/या कब्ज़ा के लिए मुकदमा दायर करना कब आवश्यक है, इसके सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय हैं। हम उनका संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं।
>
> **1**1) जहां एक वादी किसी संपत्ति पर वैध या शांतिपूर्ण कब्ज़ा रखता है और ऐसे कब्ज़े में प्रतिवादी द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है या धमकी दी जाती है, तो सरल निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया जाएगा। किसी व्यक्ति को किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपने कब्जे की रक्षा करने का अधिकार है जो निषेधात्मक निषेधाज्ञा की मांग करके बेहतर स्वामित्व साबित नहीं करता है। लेकिन गलत कब्जे वाला व्यक्ति असली मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा का हकदार नहीं है।
>
> **1**.2) जहां वादी का स्वामित्व विवादित नहीं है, लेकिन वह कब्जे में नहीं है, उसका उपाय कब्जे के लिए मुकदमा दायर करना और यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त निषेधाज्ञा मांगना है। कब्जे से बाहर कोई व्यक्ति, कब्जे से राहत का दावा किए बिना, सरलता से निषेधाज्ञा से राहत नहीं मांग सकता है।
>
> **1**.3) जहां वादी का कब्जा है, लेकिन संपत्ति पर उसका हक विवाद में है, या संदेह के घेरे में है, या जहां प्रतिवादी उस पर हक का दावा करता है और प्रतिवादी से बेदखली का खतरा भी है, तो वादी को मुकदमा करना होगा स्वामित्व की घोषणा और निषेधाज्ञा की परिणामी राहत। जहां वादी का स्वामित्व संदेह के घेरे में है या विवाद में है और वह कब्ज़ा नहीं कर पा रहा है या कब्ज़ा स्थापित करने में सक्षम नहीं है, तो आवश्यक रूप से वादी को घोषणा, कब्ज़ा और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर करना होगा।
>
> (जोर केवल इस न्यायालय द्वारा लागू किया गया है)

उपरोक्त सिद्धांतों के अवलोकन से यह पता चलता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है

[3] 2008 (2) आरसीआर (सिविल) 879

फैसले के पैराग्राफ 11.1 में कहा गया है कि गलत कब्जे वाला व्यक्ति सही मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा का हकदार नहीं है, लेकिन पैराग्राफ 11.2 में जो कहा गया है, उसके अनुसार यह योग्य है, जहां वादी का स्वामित्व विवादित नहीं है। लेकिन वह कब्जे में नहीं है, उसका उपाय ऐसे कब्जे के लिए मुकदमा दायर करना और

इसके अलावा निषेधाज्ञा मांगना है; और यह कि कब्जे से बाहर कोई व्यक्ति कब्जे से राहत का दावा किए बिना, सरलता से निषेधाज्ञा से राहत नहीं मांग सकता है।

इसलिए, यदि यहां उत्तरदाता उस संपत्ति पर कब्जे का दावा कर रहे थे जो उनके स्वामित्व में थी (आवंटन पत्र उदाहरण पी-7 से पी-11 के आधार पर), तो निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे में, इस तरह के कब्जे को साबित करने की जिम्मेदारी उन पर थी उन्हें।

उन्होंने इसे पर्याप्त रूप से साबित किया या नहीं, यह आगे देखा जाएगा; लेकिन जहां तक संपत्ति पर कब्जा साबित करने के सवाल का संबंध है, जिसके संबंध में प्रतिवादी को हस्तक्षेप करने और प्रवेश करने से रोकने की मांग की गई है, कानून के उस प्रश्न का उत्तर इस आशय का है कि, दाखिल करने के समय मुकदमा संपत्ति पर कब्जा साबित करने के लिए प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी/निषेधाज्ञा की मांग करने वाले मुकदमे में, मुकदमे की जिम्मेदारी वादी पर होती है।

(27) कानून के उस प्रश्न के दूसरे भाग पर आते हैं, यानी कि क्या यह साबित करने की ज़िम्मेदारी है कि मुकदमे की संपत्ति का कब्ज़ा प्रतिवादी द्वारा मुकदमा के लंबित रहने के दौरान लिया गया था, वह भी अकेले पहले सिद्धांतों पर भी, उस व्यक्ति पर झूठ बोलना जो विपरीत पक्ष द्वारा इस तरह की बेदखली का दावा करता है, विशेष रूप से ऐसे मुकदमे में जिसके द्वारा बाद में मुकदमे में संशोधन करके अनिवार्य निषेधाज्ञा मांगी जाती है, जिसमें दावा किया जाता है कि मुकदमा दायर होने के बाद दूसरे पक्ष ने ऐसा कब्जा ले लिया है।

निःसंदेह, ऐसा केवल निषेधाज्ञा की मांग करने वाले मुकदमे में ही होगा, न कि तब जब मुकदमा स्वयं शीर्षक की घोषणा और कब्जे की मांग के लिए दायर किया गया हो, क्योंकि उस स्थिति में, यदि प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपने शीर्षक को पूरा करने की दलील दे रहा है , तो यह उस पर (प्रतिवादी) साबित करने की जिम्मेदारी है कि वह 12 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए मुकदमे की संपत्ति पर कब्जे में था, ऐसा कब्ज़ा वादी-भूमि मालिक की जानकारी के लिए खुला और शत्रुतापूर्ण था।

ऐसे मामले में स्थिति फिर से अलग होगी जहां वादी-जमींदार मुकदमे की संपत्ति के स्वामित्व और उसके कब्जे की घोषणा चाहता है, यह दावा करते हुए कि मुकदमा शुरू होने के समय मूल रूप से मुकदमे की संपत्ति उसके कब्जे में थी, लेकिन दावा करता है कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी द्वारा बेदखल कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में, हालांकि यह साबित करने की जिम्मेदारी

प्रतिवादी पर होगी कि वह वादी के स्वामित्व वाली मुकदमे की संपत्ति पर 12 साल से अधिक समय से लगातार कब्जा कर रहा है, तथापि, यह साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की होगी। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान बेदखल करने का अधिकार अनिवार्य रूप से वादी पर होगा, हालांकि यदि प्रतिवादी 12 साल तक अपने कब्जे को साबित करने में असमर्थ है और इस तरह के सबूत पेश करने के दौरान, वह अपने कब्जे को केवल उसके बाद की तारीख से ही साबित कर सकता है। मुकदमा स्थापित किया गया था, स्वाभाविक रूप से वादी पर बोझ, उस तथ्य से ही, किसी भी मामले की दी गई परिस्थितियों में उन्मोचित हो जाएगा। (यह किसी भी मामले में वर्तमान मामले में बिल्कुल भी तथ्यात्मक स्थिति नहीं है क्योंकि यह घोषणा की मांग करने वाला मामला नहीं है)।

हालाँकि, दोहराने के लिए, जहां वादी द्वारा दायर मुकदमा केवल प्रतिवादी के खिलाफ वादी की संपत्ति के कब्जे में हस्तक्षेप से निषेधात्मक/स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाला है (जैसा कि वादी ने दावा किया है), तो यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि वह था मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी द्वारा बेदखल किए जाने का अधिकार वादी पर होगा न कि प्रतिवादी पर।

इस प्रकार, उस स्थिति में, फिर से ऐसी बेदखली को साबित करने का भार दूसरे पक्ष के हाथों ऐसी बेदखली का दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है।

अत: प्रश्न संख्या. (vi) उपरोक्त आशय का उत्तर दिया गया है।

(28) उपरोक्त के अनुसार, मुख्य प्रश्न (प्रश्न संख्या ii) पर आते हैं, कि क्या आक्षेपित डिक्री में दी गई निषेधाज्ञा निचली अपीलीय अदालत द्वारा सही ढंग से दी गई थी, जिससे ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलट दिया गया, जाहिर है, आवश्यक घटक वादी के कब्जे के लिए निषेधात्मक निषेधाज्ञा के किसी भी मुकदमे में साबित किया जाना, उनके द्वारा ऐसा कब्जा साबित करना है।

(29) उस पहलू पर भी, मैं ट्रायल कोर्ट के अंतिम निष्कर्ष से सहमत हूं, जहां तक वादी द्वारा निषेधाज्ञा का दावा टिकाऊ नहीं होने का संबंध है, कम से कम मुकदमे की संपत्ति के निर्मित हिस्से के लिए योग्य है।

(30) ट्रायल कोर्ट ने पाया कि, सबसे पहले, सीपीसी के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत दायर एक आवेदन पर वादी के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, उसके लगभग 10 से 11 महीने बाद उन्होंने एक आवेदन दायर किया। पुलिस ने उस आदेश के कार्यान्वयन में मदद की, आरोप लगाया कि प्रतिवादी अभी भी उन्हें मुकदमे की संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश कर रहा था। लगभग 08 महीने बाद 31.03.2011 को उनके पक्ष में

एक आदेश पारित किया गया, उनके द्वारा लगभग 06 महीने बाद 02.09.2011 को एक समान आवेदन दायर किया गया, उस आवेदन को भी अनुमति दी गई और पुलिस स्टेशन के SHO को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया। यदि किसी ने वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो अतिचार का।

उस आदेश को वर्तमान अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा 2011 की सीआर संख्या 6348 के माध्यम से चुनौती दी गई थी, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि चूंकि वादी ने अपने वादपत्र में दावा किया है कि वाद की भूमि खाली है, (असंशोधित वादपत्र में), अंतरिम निषेधाज्ञा उनका पक्ष ऐसी रिक्त भूमि के संबंध में केवल एक ही माना जाएगा जैसा कि वादपत्र के पहले पैराग्राफ में वर्णित है। इस न्यायालय ने उस चरण में वर्तमान अपीलकर्ता को मुकदमे की संपत्ति का सीमांकन करने और "घर का पता लगाने" के लिए स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता भी दी थी, वादी द्वारा ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। इसके बजाय उन्होंने 02.11.2012 (सिविल रिवीजन में इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के लगभग चार महीने बाद) को एक आवेदन दायर किया, जिसमें वादी में संशोधन करने की मांग की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 07.07.2012 (पारित आदेश से 03 दिन पहले) इस न्यायालय में 10.07.2012 को), वर्तमान अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने मुकदमे की संपत्ति में अतिक्रमण किया था और उस पर निर्माण किया था और परिणामस्वरूप, उसे संपत्ति के शांतिपूर्ण खाली कब्जे को बहाल करने/सौंपने का निर्देश देने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी की जाए। वादी, और वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से उसे स्थायी रूप से रोकना भी।

(31) यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि (जैसा कि 2010 के सिविल रिवीजन नंबर 1503 में एक समन्वय पीठ द्वारा पहले ही देखा जा चुका है), कि मूल वादपत्र में मुकदमे की संपत्ति पर किसी भी निर्माण का कोई संदर्भ नहीं था (केवल निर्माण को स्वीकार किया गया था) प्रतिवादियों-वादीगण द्वारा प्रतिकृति)। वास्तव में उस स्तर पर, वादी का तर्क यह था कि अपीलकर्ता (प्रतिवादी) मुकदमे की भूमि पर प्रवेश करना चाहता था और उस पर निर्माण करना चाहता था।

हालाँकि, इसके बाद, दिनांक 17.07.2009 की प्रतिकृति में, उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान अपीलकर्ता के लिखित बयान में उल्लिखित दो कमरे, संपत्ति पर बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने (वादी ने) उनका निर्माण तब किया था जब वे कभी-कभार मटोर गाँव जाते थे। .

इसके बाद, वाद में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन में, वादी ने पैराग्राफ 7 में कहा कि अपीलकर्ता ने 07.07.2012 को मुकदमे की संपत्ति में प्रवेश

किया, जब वादी स्टेशन से बाहर थे, और उनकी सहमति के बिना गैरकानूनी तरीके से निर्माण किया था। वादी. यह देखा जाना चाहिए कि प्रतिवादी-वादी के वकील द्वारा वाद में कुछ भी इंगित नहीं किया गया है कि संशोधित वाद में भी कहीं भी यह कहा गया था कि वादी ने पहले निर्माण किया था, हालांकि उनके द्वारा यही रुख अपनाया गया था। मूल वादपत्र के जवाब में दायर लिखित बयान की प्रतिकृति दाखिल की गई।

(32) ऐसा होने पर, इसमें पहले से ही माना गया है कि मुकदमा लंबित होने के दौरान प्रतिवादी द्वारा कब्जा कर लिया गया था, यह साबित करने का दायित्व वास्तव में वादी पर था, न कि प्रतिवादी पर, यहां तक कि अपने कब्जे को साबित करने का दायित्व भी था। मुकदमा दायर करने का समय स्वाभाविक रूप से उन (वादी) पर था, वर्ष 2001-05 में उनके कब्जे के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों पर भरोसा करने के अलावा, उन्होंने कभी भी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया था।

निस्संदेह, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय को कुछ भी नहीं बताया गया है, कि विद्वान निचली अपीलीय अदालत का निष्कर्ष इस आशय का है कि 'जमाबंदी' पूर्व। पी-1 से पी-4 में वादी को वर्ष 2004-05 (उस तारीख की 'जमाबंदी') में मुकदमे की संपत्ति के मालिक के रूप में दिखाया गया है, जो एक विकृत निष्कर्ष है; हालाँकि, वास्तव में, स्वामित्व के संबंध में, यहां तक कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि मुकदमा संपत्ति दस्तावेजों (आवंटन पत्र) Exs के माध्यम से वादी को आवंटित की गई थी। पी-7 से पी-10 तक, उनका रुख यह था कि उन्होंने वास्तव में मुकदमे की जमीन को छोड़ दिया था और गांव छोड़ दिया था और उन्होंने मुकदमे की जमीन के एक हिस्से पर दो कमरों का निर्माण किया था, आवंटन को वास्तव में रद्द कर दिया गया माना गया था वादी ने आवंटन के 12 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर अपने घरों का निर्माण नहीं किया था। इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां तक डीम्ड रद्दीकरण का संबंध है, यहां तक कि ट्रायल कोर्ट ने भी अपीलकर्ता-प्रतिवादी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया था, इस आधार पर कि ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया था कि आवंटन रद्द कर दिया गया था या कि ग्राम पंचायत फिर से शुरू हो गई थी भूखंडों पर कब्ज़ा.

एक पत्र पर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय की चर्चा, मार्क डीए, जिसके द्वारा अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने तर्क दिया था कि पंचायत ने उसे भूखंडों पर अपना घर बनाने की अनुमति दी थी, उस न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया था कि यह साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है, दस्तावेज़ को कभी भी इस तरह प्रदर्शित

नहीं किया गया था, और किसी भी मामले में, इस न्यायालय के समक्ष भी, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह नहीं बताया गया कि पंचायत का कोई भी सदस्य उस पत्र के पक्ष में गवाही देने के लिए खड़ा हुआ था।

फिर भी, उस पत्र के अलावा, इस सूची में प्रश्न वाद संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में नहीं है, जो किसी भी मामले में आवंटन के आधार पर अपीलकर्ता द्वारा भी विवादित नहीं है (मूल रूप से किए गए आवंटन के संबंध में), इसलिए सवाल केवल इस संबंध में है कि क्या, सबसे पहले, जब मुकदमा दायर किया गया था, उस समय उत्तरदाताओं-वादीगण के पास वास्तव में उस पर कब्जा था और यदि हां, तो क्या अपीलार्थी-प्रतिवादी ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उस पर जबरन कब्जा कर लिया था।

(33) हालाँकि, निस्संदेह, पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 44 के तहत एक 'वैधानिक अनुमान' राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों के पक्ष में उठाया गया है और इसलिए, वर्ष 2004-05 के लिए 'जमाबंदी' का महत्व होगा, जिसमें प्रतिवादी-वादी को संपत्ति के मालिक के रूप में दिखाया गया है, फिर भी, इस न्यायालय की राय में, स्वयं वादी की दलीलों से भी यह अनुमान सफलतापूर्वक खारिज हो गया, जब उन्होंने मुकदमे की संपत्ति पर किसी भी निर्माण का उल्लेख नहीं किया। मूल वाद में और प्रतिकृति में केवल यह रुख अपनाया कि जिस निर्माण का दावा अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान में किया है, वह वास्तव में उनके द्वारा बनाया गया था, अर्थात वादी।

हालाँकि, पूरी तरह से पलटवार करते हुए, संशोधित वाद में उन्होंने यह रुख अपनाया कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने 07.07.2012 को मुकदमे की सुनवाई के दौरान जबरन मुकदमे की संपत्ति में प्रवेश किया और फिर संपत्ति पर निर्माण किया।

जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, मुकदमा 25.04.2009 को स्थापित किया गया था, यानी 2004-05 की अवधि के लगभग 04 साल बाद, जो कि 'जमाबंदी' पूर्व में दर्शाई गई अवधि है। पी-1 से पी-4.

हालाँकि, मुकदमे की संपत्ति के कब्जे के संबंध में प्रतिवादी के पक्ष में कोई बाद में उत्परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया है, राजस्व रिकॉर्ड को वादी के पक्ष में इस तरह के कब्जे को दिखाने के लिए जारी रखा जाएगा; हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा ऊपर दो बार जो देखा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, और ट्रायल कोर्ट द्वारा भी विस्तार से निपटा गया है, इस आशय का कि दो कमरों के निर्माण का उल्लेख मूल वाद में कभी नहीं किया गया था, प्रतिकृति में कहा गया है कि वादी ने लिखित

बयान में उल्लिखित निर्माण किया था (प्रतिवादी नहीं), लेकिन संशोधित वाद में उस रुख को भी छोड़ दिया गया और एक पूरी तरह से नई कहानी बनाई गई, उस कब्जे पर प्रतिवादी द्वारा 07.07.2012 को प्रवेश किया गया था और उसके बाद उसके द्वारा किया गया निर्माण, राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों के पक्ष में धारणा का खंडन किया जाएगा; अपीलकर्ता-प्रतिवादी के नेतृत्व में तीन गवाहों (स्वयं सहित) के मौखिक साक्ष्य के साथ यह देखा गया कि उसने इस पर कमरे का निर्माण किया था और लंबे समय से उनमें रह रहा था।

(34) अपीलकर्ता द्वारा दावा किए गए ऐसे निवास की 40 वर्षों की अवधि सही है या नहीं, इस पर इस न्यायालय द्वारा टिप्पणी नहीं की जा रही है, क्योंकि जो साबित किया जाना था वह मुकदमा दायर करने की तारीख पर कब्जे की अवधि नहीं थी, बल्कि वास्तविक थी उस तिथि पर किसी भी पक्ष का कब्ज़ा।

निःसंदेह, यदि वाद वादी द्वारा अपने स्वामित्व के आधार पर वाद की संपत्ति पर कब्जा करने की मांग करते हुए दायर किया गया होता, तो ऐसा करने के उनके अधिकारों पर निष्कर्ष पूरी तरह से अलग हो सकते थे; लेकिन यह मुकदमा केवल स्थायी निषेधाज्ञा (अपने मूल रूप में) की मांग करने वाला है, और उसके बाद अपने संशोधित रूप में अनिवार्य और परिणामी स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाला है, मुकदमे की शुरुआत की तारीख पर उनके कब्जे को वादी द्वारा साबित किया जाना था, जो मेरी राय में उन्होंने वास्तव में अपनी ही दलीलों को खारिज कर दिया।

दरअसल, कब्जे को साबित करने की कोशिश करने के बजाय, जिसे वादी ने वास्तव में अपनी दलीलों से खारिज कर दिया था, उनके लिए सही उपाय कब्जे के लिए मुकदमा और उसके बाद स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करना होता।

(संभवतः उन्होंने प्रतिवादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे की दलील के डर से ऐसा नहीं किया; लेकिन जैसा भी हो, ऐसी किसी भी संभावना (या ऐसी किसी याचिका के किसी गुण) पर टिप्पणी किए बिना, जो बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती वह यह है कि वादी राजस्व रिकॉर्ड का हवाला देने के अलावा, वे अपनी दलीलों में विरोधाभासी रुख अपनाकर मुकदमे की संपत्ति पर अपना कब्जा साबित करने में असफल रहे (वास्तव में इस तरह के कब्जे को खारिज कर दिया), जबकि अपीलकर्ता प्रतिवादी ने दाखिल करने के समय इस पर अपना कब्जा साबित कर दिया था। सूट का)

(35) जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, यह कहा जाना चाहिए, हालांकि, विद्वान ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष के संबंध में कि केवल एक वादी ने गवाह बॉक्स में

कदम रखा है और अन्य ने नहीं, उक्त वादी का संयुक्त मालिक नहीं है संपूर्ण मुकदमे की संपत्ति और इसलिए अन्य भूखंडों के कब्जे के संबंध में उनकी गवाही स्वीकार्य नहीं है जो उनके स्वामित्व में नहीं थे ('खसरा' संख्या 40 और 42), मेरी राय में यह निष्कर्ष गलत है, जैसा कि निम्न विद्वान द्वारा सही ढंग से माना गया है अपीलीय न्यायालय, क्योंकि एक बार यह स्वीकार कर लिया गया था कि वादी एक-दूसरे के निकटतम परिवार थे, यानी पिता, पुत्र और पोते, सभी भूखंड एक-दूसरे से सटे हुए थे, यहां तक कि वादी संख्या भी नहीं थी। 2, सभी वादी के लिए एक गवाह के रूप में उपस्थित होने पर, मामले के अपने ज्ञान के संदर्भ में गवाही देना माना जाएगा, हालांकि वह गवाही अन्यथा यहां दिए गए कारण से खारिज की जा सकती है, यानी मुकदमे की संपत्ति पर वादी का कब्ज़ा वास्तव में था अलग-अलग समय पर अपनी दलीलों में अपनाए गए विरोधाभासी रुख से यह साबित नहीं हुआ, जिससे प्रतिवादी के मुकदमे की संपत्ति पर उसके कब्जे के साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय हो गए।

(36) फिर इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या दस्तावेज़ के आधार पर, उदा. पी-13, यह दर्शाता है कि ईंटें और मिट्टी किसी सुरेश द्वारा वितरित की गई थी, प्रतिवादी-वादी नंबर 1 (लक्ष्मी दत्त) ने, डिलीवरी के लिए सुरेश को 5,000/- रुपये का भुगतान किया था, जिससे यह साबित हो गया कि निर्माण किसके द्वारा किया गया था लक्ष्मी दत्त और अपीलकर्ता द्वारा नहीं, मैं फिर से विद्वान ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से सहमत हूं, न कि प्रथम अपीलीय न्यायालय से, क्योंकि यह कहीं भी साबित नहीं हुआ है कि उक्त दस्तावेज़ को किस तारीख को निष्पादित किया गया था (यह अदिनांकित है)), न ही किस भूमि के संबंध में निर्माण के लिए ऐसी कोई सामग्री वितरित की गई थी।

यहां तक कि एक मिनट के लिए यह मान भी लिया जाए कि वाद भूमि पर पहुंचाई गई निर्माण सामग्री का भुगतान स्वयं प्रतिवादी वादी संख्या द्वारा किया गया था। 1, यह अभी भी साबित नहीं करता है कि निर्माण अंततः उसके द्वारा ही किया गया था और यह वह था, न कि अपीलकर्ता जिसने उस समय कब्जा कर लिया था जब मुकदमा दायर किया गया था।

भले ही निम्नलिखित अवलोकन अनुमान के दायरे में होगा, ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण प्रतिवादी संख्या के उदाहरण पर उठाया गया होगा। 1 लेकिन अपीलकर्ता ने (प्रतीत:) इसे खड़ा कर दिया और उसके बाद इस पर उसका कब्जा हो गया।

हालाँकि, स्वाभाविक रूप से उस अनुमान पर भरोसा किए बिना, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, वादी ने मुकदमा दायर करने के समय मुकदमे की

संपत्ति के निर्मित हिस्से पर अपने वास्तविक कब्जे को खारिज कर दिया था, अपीलकर्ता की बाद की प्रविष्टि का सवाल होगा उत्पन्न नहीं हुआ, जो किसी भी मामले में प्रतिवादी वादी द्वारा साबित नहीं किया गया क्योंकि वे ऐसा करने के लिए बाध्य थे।

(37) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कानून का मुख्य प्रश्न जो इस दूसरी अपील में उठता है, यानी कि क्या विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अनिवार्य और परिणामी निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना चाहिए था, इसका उत्तर दिया गया है ऐसी डिक्री जारी नहीं की जा सकती थी, प्रतिवादी-वादी ने वास्तव में मुकदमे की संपत्ति के कम से कम निर्मित हिस्से पर अपने कब्जे को उस तारीख को खारिज कर दिया था जब मुकदमा दायर किया गया था और परिणामस्वरूप, जाहिर तौर पर उनका तर्क था कि कब्जा उनके द्वारा ले लिया गया था। मुक़दमे के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता-प्रतिवादी भी "असफल हो जाता है" और साबित नहीं होता पाया जाता है। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट के इस आशय के निष्कर्ष को बरकरार रखा जाता है।

(38) अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा बनाए गए कानून के तीसरे प्रश्न का भी इस आशय का उत्तर दिया गया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य को पूरी तरह से गलत पढ़ा, जिसे ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से समझा था।

प्रश्न संख्या. (iv) वास्तव में कानून का प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर इस आशय का है कि इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है, उसके आलोक में अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों से पूर्वाग्रहग्रस्त हो गया है।

(39) जहाँ तक प्रश्न संख्या का संबंध है। (v), इस पर कि क्या विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय "आदेश एक्सएलआई नियम 31 सीपीसी के प्रावधान के अनुपालन के बिना" पारित किया गया है, उस प्रश्न का उत्तर इस आशय से दिया गया है कि उक्त नियम यह निर्धारित करता है कि अपीलीय न्यायालय निर्णय के बिंदु, उस पर उसका निर्णय और ऐसे निर्णय के कारण, साथ ही अपीलकर्ता जिस राहत का हकदार है, उसे सुनाने, निर्णय सुनाने वाले न्यायाधीश/न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांक के साथ बताएगा। निचली अपीलीय अदालत ने अपने फैसले के लिए उचित तर्क दिया है, हालांकि इस अदालत ने उस तर्क को पूरी तरह से गलत पाया है और उसे उलट दिया गया है; हालाँकि, उपरोक्त नियम के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया जाना पाया गया है।

(40) उपरोक्त के अनुसार, यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह पाते हुए भी कि विवाद वास्तव में वादी के पैराग्राफ संख्या 1 के उपपैराग्राफ (ए) से (डी) में संदर्भित संपूर्ण भूमि का नहीं था। , लेकिन केवल उसके बाद निर्मित हिस्से के संबंध में (उस न्यायालय के फैसले का संदर्भ पैराग्राफ 17); हालाँकि, उस न्यायालय ने अंततः वादी के मुकदमे को पूरी तरह से खारिज कर दिया, पूरे मुकदमे की भूमि के लिए, जबकि शेष पर अपीलकर्ता-प्रतिवादी के कब्जे के साक्ष्य के संबंध में इस दूसरी अपील में इस न्यायालय को कुछ भी नहीं बताया गया है। वाद भूमि का हिस्सा, या यह कि वादी वाद भूमि के खाली हिस्से पर अपना कब्जा साबित करने में सक्षम नहीं थे, पूरे साक्ष्य बहुत स्पष्ट रूप से केंद्रित थे और केवल इस बात के लिए जिम्मेदार थे कि निर्मित हिस्से पर किसका कब्जा था।

ऐसा होने पर, इस आशय की डिक्री जारी करके मुकदमे को केवल आंशिक रूप से अनुमति दी जानी चाहिए थी कि अपीलकर्ता को मुकदमे की भूमि के खाली हिस्से में हस्तक्षेप करने से रोका जाए, साथ ही मुकदमा खारिज कर दिया जाए क्योंकि निर्मित हिस्सा वास्तव में उसके कब्जे में पाया गया था। अपीलकर्ता-प्रतिवादी. तदनुसार, इस आशय का शासनादेश भी जारी किया जाना चाहिए था।

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने, निश्चित रूप से, वादी के मुकदमे को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, जिसे इस न्यायालय द्वारा पूरी तरह से गलत पाया गया है, उस डिक्री को रद्द किया जाना चाहिए; लेकिन ट्रायल कोर्ट के डिक्री के साथ केवल आंशिक रूप से बहाल किया गया, यानी मुकदमे की भूमि पर निर्मित हिस्से के संबंध में, जो ट्रायल कोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 40 और 41 पर पाया गया था, यहां तक कि वादी के साक्ष्य के अनुसार भी स्वयं (वादी संख्या 4 जय देव-पीडब्लू1)।

(41) उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, विद्वान निचली अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है और अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), कैथल के दिनांक 31.10.2013 के फैसले को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। वादी का खसरा संख्या 40 और 41 का मुकदमा, जिस पर दो कमरों का निर्माण विद्यमान पाया गया था, खारिज कर दिया गया है; लेकिन इस हद तक फैसला सुनाया गया कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी को खसरा नंबर 42 और 43 पर उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को भी पूर्वोक्त प्रभाव के लिए संशोधित किया गया है।

मामले की परिस्थितियों में, पार्टियों को पूरी तरह से अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

तदनुसार एक डिक्री-शीट जारी की जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रमनीक कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
फ़रीदाबाद, हरियाणा